

राजस्थान सरकार  
निदेशालय स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर  
(जी-3, राजमहल रेजीडेन्शियल ऐरिया, सिविल लाईन फाटक, 22 गोदाम, जयपुर)

क्रमांक : प.1(क)(238)का/आर.एम.एस./डीएलबी/08/ 3251  
आदेश

दिनांक : 5-4-17

राजस्थान नगर पालिका सेवा नियम, 1963 के नियम 28 एवं कार्मिक विभाग के आदेश संख्या प.7(3)कार्मिक/क-2/2008 दिनांक 11.09.11 एवं अ.शा.टीप सं. 4(1)कार्मिक/क-2/अ.प्र./2008 दिनांक 12.09.12 की पालना में राजस्व अधिकारी-प्रथम पद की अस्थाई वरिष्ठता सूची दिनांक 01.04.17 की स्थिति को दर्शाते हुए निम्नानुसार जारी की जाती है। इस संबंध में किसी अधिकारी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो वह इस आदेश के जारी होने की दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी लिखित आपत्तियां अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत करें। निर्धारित अवधि के बाद प्राप्त आपत्तियों पर विचार नहीं किया जावेगा।

दिनांक 01.04.2017 की स्थिति

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	पदोन्नति वर्ष	स्थाईकरण दिनांक	विशेष विवरण
1.	श्री शशिकान्त शर्मा	21.07.83	01.04.13	01.04.14	
2.	श्रीमति मनीषा यादव	15.09.85	01.04.13	01.04.14	
3.	श्री सन्त लाल मक्कड	02.01.75	01.04.13	01.04.14	
4.	श्री नूर मोहम्मद खान	29.07.76	01.04.13	01.04.14	
5.	श्री दलीप कुमार	11.05.79	01.04.13	01.04.14	
6.	श्रीमति रिकल गुप्ता	13.06.81	01.04.13	01.04.14	
7.	श्रीमति अनिता खींचड	23.09.81	01.04.13	01.04.14	
8.	श्री श्रवण राम	01.07.83	01.04.13	01.04.14	
9.	श्री करणी सिंह	01.08.71	01.04.13	01.04.14	
10.	श्री महावीर सिंह सिसोदिया	25.05.84	01.04.13	01.04.14	
11.	श्रीमति अभिलाषा सिंह	01.06.85	01.04.13	01.04.14	
12.	श्री सुरेन्द्र सिंह यादव	02.01.74	01.04.13	01.04.14	
13.	श्री महेश कुमार	15.02.61	01.04.15	01.04.16	
14.	श्री राम स्वरूप मीणा (S.T.)	05.07.57	01.04.15	01.04.16	सेवानिवृत्ति दिनांक 31.07.17
15.	श्री रमेश चन्द पुत्र रामधन (S.C.)	14.09.59	01.04.15	01.04.16	

501-  
(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक : प.1(क)(238)का/आर.एम.एस./डीएलबी/08/ 3252-3465  
प्रतिलिपी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

दिनांक : 5-4-17

01. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
02. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर।
03. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
04. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/पालिका, समस्त राजस्थान।
05. श्री.....राजस्व अधिकारी-प्रथम, नगर निगम/परिषद/पालिका.....।
06. निजी/सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)  
अतिरिक्त निदेशक